

## आवश्यक



## राज्य निर्वाचन आयोग बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्र संख्या-न0नि0 50-58/2021-1583  
प्रेषक,

संजय कुमार,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),  
(शिवहर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल, लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई को छोड़कर)।

पटना, दिनांक-27 अप्रैल, 2022

विषय :- नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन की व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 1427 दिनांक 11.04.2022  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 1427 दिनांक 11.04.2022 द्वारा नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन के संबंध में विस्तृत दिशा-निदेश दिये गये हैं।

पत्र के निदेश कंडिका-10 में अंकित है कि "जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरान्त आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा जो अंतिम होगा। इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी का तात्पर्य नगर निकाय के बारे में अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से है। किसी भी स्थिति में नगरपालिका के अधीन कार्यरत किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त संलग्न समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग का निदेश है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड गठन के प्रारूप प्रकाशन की अवधि में (दिनांक 28.04.2022 से 11.05.2022 तक) दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में सूचना स्थानीय समाचार पत्र एवं संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराई जाये। जिसमें जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं उनके कार्यालय का पता जहाँ आवेदन द्वारा वार्ड गठन के विरुद्ध दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत किये जायें स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाये एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित अवगत कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-27 अप्रैल, 2022

ज्ञापांक न0नि0 50-58/2021-1583

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर को राज्य निर्वाचन आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

—:2:—

ज्ञापांक न0नि0 50-58/2021- 1583

पटना, दिनांक- 27 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 26/04/22

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक न0नि0 50-58/2021- 1583

पटना, दिनांक- 27 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 26/04/22

विशेष कार्य पदाधिकारी।